



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05102026-276778
CG-DL-E-05102026-276778

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 588]
No. 588]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2026/आश्विन 6, 1948
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2026/ASVINA 6, 1948

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
(नई दिल्ली)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 21 सितंबर, 2026

सं.एल-1 / 2064 / 2022—सीईआरसी.— केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की भर्ती) (चौथा संशोधन) विनियम, 2023 में निम्नलिखित पैरा में निम्नानुसार शुद्धि की जाएगी:

1. पैरा 2 में, शब्दों और अभिव्यक्तियों "विनियम 6(6)" को शब्दों और अभिव्यक्तियों "विनियम 6" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"2. नए विनियम 6क का अंतर्वेशन:— मूल विनियमों के विनियम 6 के बाद, एक नए विनियम 6क को निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:—

6क — आयोग में मानक/नियमित प्रकृति के परामर्श कार्यों के लिए अध्यक्ष के अनुमोदन के साथ सीईसी, सीईआरसी की आधिकारिक वेबसाइट, समाचार पत्र विज्ञापन/सीपीपीपी पोर्टल पर विज्ञापन के माध्यम से हिताभिव्यक्ति के प्रति प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर परामर्शियों का पैनल शॉर्टलिस्ट और तैयार करेगा। हिताभिव्यक्ति मांगने वाली पूछताछ में परामर्श कार्यों के विस्तृत प्रकार, पात्रता और परामर्शी (परामर्शियों) द्वारा पूरी की जाने वाली पूर्व-अर्हताएं और समान कार्य या सेवा में परामर्शी के पिछले अनुभव संक्षिप्त रूप में शामिल होंगे। शॉर्ट-लिस्ट किए गए परामर्शियों की संख्या तीन से कम नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद सीईसी द्वारा तैयार किए गया पैनल एक वर्ष के लिए वैध रहेगा। अध्यक्ष एक और वर्ष के लिए पैनल की वैधता में और विस्तार कर सकते हैं। पैनल की वैधता के दौरान, परामर्शियों के पैनल से वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जाएंगी और परामर्शी को 'न्यूनतम लागत प्रणाली' के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।"

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./357/2026-27]

नोट: केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) (चौथा संशोधन) विनियम, 2023 दिनांक 19.5.2023 को भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग III, खंड 4, सं. 333 में प्रकाशित हुए थे।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(NEW DELHI)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 21st September, 2026

No. L-1/2064/2022-CERC.—The following para in the Central Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) (Fourth Amendment) Regulations, 2023 shall be corrected as under:

1. In Para 2, the words and expressions "Regulation 6(6)" shall be substituted by the words and expressions "Regulation 6" and shall be read as under:

"2. *Insertion of a new Regulation 6A:— After Regulation 6 of Principal Regulations, a new regulation 6A shall be added as under :-*

6A – *For consulting assignments of a standard /regular nature in Commission, the CEC with the approval of the Chairperson shall shortlist and prepare a panel of Consultants based on responses received against the Expression of Interest through advertising on CERC's official website, newspaper advertisement/ CPPP Portal. Enquiry for seeking Expression of Interest shall include in brief, the broad type of consulting assignments, eligibility and the pre-qualification criteria to be met by the consultant(s) and consultant's past experience in similar work or service. The number of short-listed consultants should not be less than three.*

The panel prepared by the CEC after approval of the Chairperson will be valid for one year. The Chairperson may further extend the validity of the panel for one more year. During the validity of panel, the financial bids shall be invited from the panel of consultants and the consultant shall be engaged on the basis of 'Least Cost System'."

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./357/2026-27]

Note: The Central Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) (Fourth Amendment) Regulations, 2023 was published in Part III, Section 4, No. 333 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 19.5.2023.